

संदर्भ:पावरग्रिड/उ.क्षे.-1/आर. टी. आई./2267/297

दिनांक:29.11.2023

सेवा में,

श्री सालिम हमीद एवं जब्बार हमीद,
निवासी ग्राम मोहनपुर गाडा, पोस्ट जन्घेडा,
समसपुर, जिला सहारनपुर (मोबाइल न.9837995427)

विषय :आपका आर टी आई प्रार्थना पत्र स्पीड पोस्ट दिनांक 08.11.2023 के संदर्भ में ।

महोदय,

आपका आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र स्पीड पोस्ट दिनांक 08.11.2023 जो कि पावरग्रिड फरीदाबाद हरियाणा कार्यालय में दिनांक 15.11.2023 को प्राप्त हुआ के संदर्भ में आपको बिंदुवार सूचित किया जाता है:

बिंदु संख्या	बिंदुसार	पावरग्रिड द्वारा जानकारी
1	क्या आप बतायेंगे पावर ग्रिड द्वारा मोहनपुर गाडा, जिला सहारनपुर मे टावर लाईन निर्माण के दौरान वर्ष 2016 मे अधिकारियो द्वारा आपस मे सहमति नही बन पायी जिसके चलते डी0एम0 एस0डी0एम0 के द्वारा मोहनपुर गाडा मे लाईन बनने के दौरान पुलिस फोर्स लगाकर जबरदस्ती से यह टावर लाईन बनायी गयी 420 के0वी0 की टावर लाईन मोहनपुर गाडा-2 पुहाना रुडकी हरिद्वार की लाईन बनायी गयी । जिसमे एस0डी0एम0 के द्वारा किसानो का मुआवजा को लेकर सभी का होने वाले नुकसान के सम्बंध मे किसानो को उनकी फसल व पेडो का नोटिस दिया गया जिसमे 12 किसान है ।	इस बिंदु के अंतर्गत किया जानकारी मांगी गई है सपष्ट नही है ।
2	अख्तर हसन, हनीफा, महबुब, जरीना, वसीम, जब्बार, गंधधूर, हारुन मुज्जिमल, मुदसिर, हमीद, निजामुद्दिन जब्बार हमीद सालिम हमीद, एस0डी0एम) की मौजूदगी में पावरग्रिड के अधिकारियो के द्वारा इनका कुल मुआवजा चैक के माध्यम से बना हुआ मुआवजा कुल 16 लाख बना था।	कोई जानकारी नही मांगी गई है
3	वर्ष 2022 मे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक के द्वारा इन सभी लोगो को यह मुआवजा 93 लाख रु0 दिया गया जो	नियमानुसार जो भी मुआवजा बनता था आपको भुगतान किया जा चुका है।

....2

	प्राइवेट रेट पर दिया गया है कृपया सालिम हमीद, जब्बार हमीद को भी प्राइवेट रेट पर मुआवजा दिये जाने के लिए आदेश करे।	
4	हमीद निजामुद्दीन का टावर का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है	क्षतिपूर्ति के एवज में जो भी मुआवजा जिसका भी बनता था वह भुगतान किया जा चुका है।
5	पुरी टावर लाईन निर्माण के दौरान सभी किसानो को प्राइवेट रेट पर मुआवजा दिया गया है कृपया सालिम जब्बार, हमीद निजामुद्दीन को भी प्राइवेट रेट पर दिये जाने मे मदद करे।	नियमानुसार जो भी मुआवजा बनता था भुगतान किया जा चुका है।
6	टावर लाईन बनने के दौरान पुलिस फोर्स की विडियोग्राफी हमारे पास सभी मौजूद है।	कोई जानकारी नहीं मांगी गई है।

अपीलीय प्राधिकारी का विवरण

श्री ए.के. मिश्रा,
कार्यकारी निदेशक (उ. क्षे.1), प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उ. क्षे.1 मुख्यालय,
SCO बे. संख्या 5-10, सेक्टर -16A, फरीदाबाद (हरियाणा)-121002,
फोन न. 0129-2666301

धन्यवाद।

भवदीय

[जी. पी. पयासी]
मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना एवं अभियांत्रिकी)
एवं पदनामित सी. पी. आई. ओ., पावरग्रिड, उ. क्षे. -1
फोन न.0129-2666305

CIN No. L40101DL1989GOI038121

उत्तरी क्षेत्र-1 मुख्यालय, एस.सी.ओ.-बे संख्या 5 से 10, सेक्टर-16ए, फरीदाबाद, हरियाणा-121002
Northern Region-1 Headquarters, SCO - Bay No.5 to 10, Sector-16A, Faridabad, Haryana-121002